न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

अपील सं0 02/20 21

1. हरिकिशन मीना पुत्र श्री गेंदाराम मीना उम्र लगभग 58 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बालाहेडा, तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.02.2021 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा अन्तर्गत मुकदमा नंबर 32/2020 उनवानी प्रकरण राज्य सरकार बनाम मैसर्स हरिकिशन मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालाहेडा तहसील बसवा।

उपस्थितः 1.श्री रामलाल गोठवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.9.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 03.02.2021 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गंया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलांट ग्राम पंचायत बालाहेडा तहसील बसवा जिला दौसा के 1/2 भाग का उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। जिसका प्राधिकार पत्र सं0 313/97 है। ग्राम पंचायत बालाहेडा के उपभोक्ताओं को बिना किसी शिकायत के रसद सामग्री का वितरण करता रहा है। खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30.6.2016, 19.7.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाइन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये। उसके पश्चात दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये गये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नंबर आता है, जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है। जिसका मैसेज भी उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। रसद सामग्री वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेशमात्र भी कालाबाजारी की गुंजाइश नहीं हो सकती है। उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का संदेश उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ

जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री काइन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के तहत उपभोक्ता द्वारा आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री वितरण किये जाने के आदेश पारित किये गये है। राशन डीलर से चुनावी रंजिश के कारण शिकायतकर्ता लखनलाल मीना पुत्र श्री बद्रीप्रसाद निवासी ग्राम पोखरी पोस्ट बालाहेडा द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय में अपीलांट के विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा बिना कोई जांच किये आदेश दिनों 20.4.2020 के द्वारा प्राधिकार पत्र को निलंबित कर दिया गया। अपीलांट के प्राधिकार पत्र के निलंबन को 90 दिवस हो जाने के बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा ना तो प्रार्थी की उवित मूल्य दुकान की विस्तृत जांच की और ना ही प्राधिकार पत्र को बहाल किया गया। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 20.4.2020 को जरिये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2020 द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 2.4.2020 की कियान्विति को स्थगित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को बहाल कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के कारण जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा द्वेषतापूर्ण कार्यवाही की जाकर बिना विस्तृत जांच किये केवल मात्र पूर्व में की गई तथाकथित फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2020 जिसकी प्रति भी अपीलांट को उपलब्ध नहीं कराई गई, के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने की तारीख 11.01.2021 अंकित है एवं जवाब हेतु दिनांक 12.01.2021 अंकित की गई है। प्रार्थी द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 18.01.'2021 को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया कि अपीलांट द्वारा सभी उपभोक्ताओं को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का उवित अवसर दिये बिना एवं प्रस्तुत जवाब को उचित रूप से कन्सीडर किये बिना आनन फानन में कार्यवाही की जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को आदेश दिनांक 03.02.2021 के द्वारा निरस्त कर अत्यन्त कठोर दंड दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 03.02.2021 में अपीलांट को 130 किलोग्राम गेहूँ के दुरूपयोग का दोषी ठहराया गया है। अपीलांट द्वारा विजयसिंह मीना को जरिये पोश मशीन 20 किलोग्राम गेहूँ एवं लखनलाल मीना को 15 किलोग्राम गेहूँ तथा बलराम मीना को 15 किलोग्राम गेहूँ एवं रामभरोसी मीना को 20 किलोग्राम गेहूँ दिया गया। उपभोक्ता मन्नूलाल मीना जिसकी मृत्यु हो चुकी है, को अपीलांट द्वारा कोई राशन सामग्री नहीं दी गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा सभी उपभोक्ताओं को पोश मशीन द्वारा बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरांत रसद सामग्री उपलब्ध करा दी गई है तथा अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता की गई है। पोश मशीन द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता/कालाबाजारी किया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बालाहेडा तहसील बसवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री हरिकिशन मीना के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा दिनांक 01.04.2020 को की जाकर कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट मे पाई गई अनियमितताओं बाबत दिनांक 18.01.2021 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गई:–

अपील सं0 02/2021

1. उपभोक्ता लखनलाल पुत्र बद्रीप्रसाद मीना, बलराम पुत्र रमेशचंद मीना, मानसिंह पुत्र विश्राम मीना, विजयसिंह पुत्र विश्राम मीना, रामभरोसीं पुत्र सत्या, मन्नुलाल मीना निवासी ग्राम पंचायत बालाहेडा के राशनकार्डो में फर्जी तरीके से गेहूँ उठाया गया।
2. जांच के दौरान माप तौल कांटे का भी बाट 5 किलोग्राम के आधार पर निरीक्षण किया गया जो 05 किलो 200 ग्राम का पाया गया।
3. व एनएफएसए-ई सूची का प्रदर्शन होना नही पाया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत की गई। जिसमें शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं के राशनकार्डो मे अवैध रूप से राशन सामग्री का वितरण दर्शाकर 130किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा गंभीर अनियमिताएं कर "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण एव विनियमन) आदेश 1976" के खण्ड 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,9,11,15,17सी, व 18 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2021 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की गई है। राशन सामग्री वितरण में 130 किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है। डीलर द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2021 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा